स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा विकलांगों को ऋण सुविधाएं

6132 **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ इंडिया ने विकलांगो को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना आरम्भ की है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत इस समय किस प्रकार की सम्थाएं सम्मिलित की गई है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) से (ग) यद्यपि भारतीय स्टेट बैंक ने विकलांग के वित्त पोषण का कोई पृथक योजना नहीं बनाई है फिर भी बैंक द्वारा अपनी सामान्य योजनाओं के अधीन उनकी तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य और आर्थिक दृष्टि से सक्षम परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है। 10 000 रुपए से अधिक के ऋणों पर उनसे 8 प्रतिशत रियायती दर से ब्याज लिया जाता है और इस सीमा से अधिक के ऋणों पर सामान्य दर से ब्याज लिया जाता है। रियायती ब्याज दर योजना के अधीन पात्रता को पूरा करने वाले व्यक्तिगत विकलांग व्यक्तियों और विकलांगों की संस्थाओं को भी ब्याज की 4 प्रतिशत की दर से ऋण दिया जाता है।

हवाई अड्डों के लिये "कंट्रोल टॉवर"

6133 **श्री सुखेन्द्र सिंह** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या निर्धारित उड़ानों वाले कुछ हवाई अड्डों पर कोई कंट्रोल टावर नहीं है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे हवाई अड्डों के क्या नाम हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) ऐसे सभी सिविल विमान क्षेत्रों पर नियंत्रण टावर उपलब्ध है जिनसे होकर इंडियन एयरलाइंस अनुसूचित विमान सेवाओं का परिचालन करती है। तथापि पंचवर्षीय योजना (1978-83) में निम्नलिखित सिविल विमान क्षेत्रों पर आधुनिक प्रकार के नियंत्रण टावरों/तकनीकी ब्लाकों का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है।

1 गोहाटी (तकनीकी ब्लाक तथा टावर)
2 त्रिवेन्द्रम (तकनीकी ब्लाक तथा टावर)
3 इम्फाल (तकनीकी ब्लाक)
4 विशाखापत्तनम (तकनीकी ब्लाक)
5 अहमदाबाद (नियंत्रण टावर)
6 रायपुर (नियंत्रण टावर)
7 लखनऊ (नियंत्रण टावर)
8 रांची (तकनीकी ब्लाक तथा टावर)
9 जबलपुर (तकनीकी ब्लाक)
10 पोर्ट ब्लेयर (नियंत्रण टावर)
11 बेलगांव (तकनीकी ब्लाक)
13 बंगलौर (तकनीकी ब्लाक)
13. औरंगाबाद (नियंत्रण टावर)
14 बैंहाला (नियंत्रण टावर)
15 राजकोट (नियंत्रण टावर)
16 मद्रास (नियंत्रण टावर)

विशाखापत्तनम में एक नये नियंत्रण टावर के निर्माण की पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। योजनाएं तथा डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं और निर्माण कार्यों के 1978-79 में आरम्भ हो जाने की आशा है।

वनस्पति तेलों के लिये राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता

6134. **श्री चतुर्भुज :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय द्वारा वनस्पति तेलों के लिये (एक) राज्य सरकारों, (दो) अन्य एजेंसियों को दिये गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य (मंत्री श्री कृष्ण कुमार गोयल) : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों अथवा अन्य अभिकरणों को वनस्पति तेलों के लिए कोई अनुदान नहीं देती है। तथापि साफ करने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए राज्य सरकारों को दिये जाने वाले रेपसीड तेल निर्गम मूल्य के लिए 25-8-77 से 1000/- रु० प्रति मीटरी टन की आर्थिक सहायता दी गई है, ताकि राज्य सरकारें उपभोक्ताओं को यह तेल अधिक से अधिक 7.50 रु० प्रति कि० ग्रा० के अन्तिम उपभोक्ता मूल्य पर दे सकें। आर्थिक सहायता के लिये अब तक नीचे दिये दावे मिले है —

अभिकरण	राशि रुपयों में
(i) दिल्ली प्रशासन	2,01,074.00
(ii) राजस्थान सरकार	3,41,926 00
(iii) पश्चिम बंगाल सरकार	9,51,749 75
(iv) तमिलनाडु सरकार	2,03 878 75
(v) नागालैंड सरकार	98,570 00
(vi) गणेश फ्लोर मिल्स	6,36,786 00
(vii) महाराष्ट्र सरकार	54,52,800 00
योग	78,86,784.50

अन्य राज्य सरकारों से अभी दावे प्राप्त नहीं हुए हैं।

पिल्लई समिति और गट्ठा समिति की सिफारिशें

6135. **श्री चतुर्भुज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक व्यवस्था में सुधार करने के लिये सरकार ने पिल्लई समिति और गट्ठा समिति बनाई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उन समितियों के प्रतिवेदन मिल गये है ; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रतिवेदनों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) उन प्रतिवेदनों में निहित सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?